संख्या-15/2015/वे0आ0-2-270/दस-54(एम)/2010टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक : 08 अप्रैल, 2015**

विषय:- वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में वित्त राजकीय विभागों के कम्प्यूटर कर्मचारी (ई0डी0पी) संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-वे0आ0-2-2058/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा संसूचित निर्णय के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-3 की तालिका में क्रम संख्या-4 के सम्मुख प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद हेतु तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित भर्ती की विधि **" 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति द्वारा-ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पदधारकों में से जो सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों।"** के स्थान पर निम्न भर्ती की विधि निर्धारित की जाय :--

" 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पदधारकों में से पदोन्नति द्वारा।"

2- उपर्युक्त पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या- 15/2015/वे0आ0-2-270(1)/दस-54(एम)/2010टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
2- कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबासाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।